24/3/25

मिसल पेश हुई। वकील प्रार्थी मौजूद। वकील प्रार्थी व प्रार्थी को अवसर दिया गया। बार बार अवसर देने के बावजूद न्यायालय समय तक हाजिर नहीं होने के कारण एकतरफा अग्रिम जमानत अग्रिम हालात में खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा